

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 55/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नगराम पुत्र चेनाराम उम्र 60 वर्ष		1. वेहनीदेवी पत्नि बीजाराम उम्र 80 वर्ष
2. जैराराम पुत्र चेनाराम उम्र 50 वर्ष		2. मुकनाराम पुत्र बीजाराम उम्र 50 वर्ष
3. भंवराराम पुत्र चेनाराम उम्र 46 वर्ष		3. प्रकाश चौधरी पुत्र मूलाराम उम्र 30 वर्ष
4. लिछमणाराम पुत्र चेनाराम उम्र 44 वर्ष		4. लालीदेवी पत्नि मूलाराम उम्र 50 वर्ष
जातियान जाट निवासी धोलाडेर, खरंटिया		5. हेमी पुत्री मूलाराम उम्र 30 वर्ष
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		6. मगनाराम पुत्र टीकमाराम उम्र 50 वर्ष
		7. पुखराज पुत्र टीकमाराम उम्र 40 वर्ष
		8. दौलाराम पुत्र टीकमाराम उम्र 60 वर्ष
		9. पूरोंदेवी पत्नि जुगताराम उम्र 40 वर्ष
		10. हीराराम पुत्र जुगताराम उम्र 25 वर्ष
		11. देवाराम पुत्र मेहराजाराम उम्र 60 वर्ष
		12. जीयाराम पुत्र मूलाराम उम्र 25 वर्ष
		13. कुम्भाराम पुत्र मूलाराम उम्र 23 वर्ष
		14. हुकमाराम पुत्र ताजाराम उम्र 70 वर्ष
		15. अचलाराम पुत्र ताजाराम उम्र 68 वर्ष
		16. राऊराम पुत्र धर्मराम उम्र 25 वर्ष
		17. दौलाराम पुत्र वेहनाराम उम्र 70 वर्ष
		18. प्रभूराम पुत्र वेहनाराम उम्र 50 वर्ष
		जातियान जाट निवासी निम्बलकोट तहसील
		नोखड़ा जिला बाड़मेर
		19. तहसीलदार नोखड़ा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

- श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
- विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा धोलाडेर पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 25 रकबा 0.0243 हैकटेयर, खसरा संख्या 26 रकबा 7.1111 हैकटेयर, खसरा संख्या 26/2

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रकबा 5.5174 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/3 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/4 रकबा 0.3236 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा धोलाडे़र पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 25 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26 रकबा 7.1111 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/2 रकबा 5.5174 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/3 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/4 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा धोलाडे़र पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 25 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26 रकबा 7.1111 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/2 रकबा 5.5174 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/3 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/4 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा धोलाडे़र पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 25 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26 रकबा 7.1111 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/2 रकबा 5.5174 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/3 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/4 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा धोलाडे़र पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 25 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26 रकबा 7.1111 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/2 रकबा 5.5174 हैक्टेयर, खसरा संख्या

26/3 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/4 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धोलाडेर पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 25 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26 रकबा 7.1111 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/2 रकबा 5.5174 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/3 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26/4 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार नोखड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी